

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

(2)

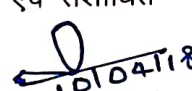
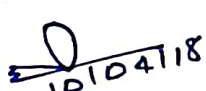
सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-138/2017-18

—: आदेश :—

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
10/5/18	अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता 1. गुलटेन हजाम 2. मोहन हजाम 3. अनिल ठाकुर, पिता स्व0 आलबाबु हजाम 4. श्रीमती पूर्णिमा देवी, पति स्व0 जगरनाथ हजाम, जाति-नाई, ग्राम-भर्रा साईड, चास, थाना-चास, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-निश्चितपुर, थाना नं0-54 के खाता संख्या- 23 प्लॉट नं0- 303 रकवा 0.10 एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 543/भू0सु0, दिनांक 12.10.2017 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1777 दिनांक 14.11.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है:- 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका खतियान विशु धुनिया के नाम से दर्ज है। 2. विक्रेता ग्राम-भर्रा साईड, चास, थाना-चास, जिला-बोकारो एवं क्रेता ग्राम-मुंगो, थाना- नावाडीह, जिला-बोकारो के निवासी है। 3. क्रेता एवं विक्रेता जाति के नाई हैं, जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते है। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 2.00 एकड़ भूमि शेष बचता है, एवं विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 5. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को केवाला सं0- 4761 दिनांक 10.07.1992 द्वारा खरीदगी से प्राप्त है जिसपर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल-कब्जा है। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि की जमाबंदी पंजी II के थोका संख्या- 132/1 में आलबाबु हजाम के नाम से दर्ज है लगान रसीद वर्ष 2016- 17 तक निर्गत है। 7. बिक्री की जाने वाली भूमि का किरम गोडा-III है। 8. अंचल अधिकारी, चास, द्वारा मौजा-निश्चितपुर, थाना नं0-54 के खाता संख्या- 23 प्लॉट नं0- 303 रकवा 0.10 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्यवाई के टिप्पणी तारीख प्रेषक, सेव
	अनुमण्डल कार्यालय, चास द्वारा निर्गत विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0-1136823, 1136900 दिनांक 11.09.2017 प्रमाण पत्र सं0-295456 दिनांक 06.04.2018, प्रमाण पत्र सं0- 1136937 दिनांक 11.09.2017 एवं अनुमण्डल कार्यालय, बेरमो द्वारा निर्गत क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0- 1312173 दिनांक 09.09.2017 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता 1. गुलटेन हजाम 2. मोहन हजाम 3. अनिल ठाकुर, पिता स्व0 आलबाबु हजाम 4. श्रीमती पूर्णिमा देवी, पति स्व0 जगरनाथ हजाम, जाति-नाई, ग्राम-भर्रा साईड, चास, थाना-चास, जिला-बोकारो को मौजा-निश्चितपुर, थाना नं0-54 के खाता संख्या- 23 प्लॉट नं0- 303 रकबा 0.10 एकड भूमि क्रेता पिताम्बर ठाकुर, पिता- शंकर ठाकुर, जाति-नाई, ग्राम-मुंगो, थाना-नावाडीह, जिला- बोकारो को बिक्री करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	cc: 10/04/18